श्री सभापतिः आप प्रश्न पूछिए।

श्री नारायण लाल पंचारियाः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार की यह जो इतनी महत्वपूर्ण योजना है, क्या राजस्थान को इसके लिए राशि बढ़ाकर दी जाएगी? कई राज्य जो हमसे छोटे हैं, उनको इस योजना के तहत बहुत बड़ी राशि दी गई है और कई राज्यों को तो हमसे दुगुनी राशि तक दी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा और मंत्री जी से यह जानना भी चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इस धनराशि को बढ़ाकर, हमें अतिरिक्त धनराशि देने का कोई प्रावधान करेंगे?

श्री जुएल उरांवः सर, राशि आवंटित करने की जो विधि है, उसमें हम लोग pollution की percentage, geographical percentage और उस स्टेट की परफॉर्मेंस का आकलन करते हैं। इस हिसाब से राजस्थान का जितना शेयर बनता है, उतना शेयर हम अवश्य उसे देंगे, उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे।

Abandoned Pakistani boats found in Sir Creek area

*287. SHRI HARIVANSH: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of abandoned Pakistani boats have been found in the nearby area of Sir Creek in the last two years; and

(b) if so, what steps are being taken to ensure that there is no repeat of 26/11 like attack?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The details of seizure of abandoned boats by BSF in Sir Creek area of Gujarat during last two years *i.e.* 2015, 2016 and current year 2017 (upto February) are as follows:–

Year	Seizure of abandoned boats
2015	04
2016	11
2017 (upto February)	04

(b) Coastal areas of the country are safeguarded by the police forces of the respective Coastal States/UTs, which have jurisdiction of upto 12 nautical miles from the coast, and by the Indian Coast Guard (ICG) and the Indian Navy, who have jurisdiction over the entire maritime zone, upto 200 nautical miles, including the 12 nautical miles of territorial waters. Thus, there is adequate three-tier security for the Coastal States of the country.

Ministry of Home Affairs is implementing a Coastal Security Scheme (CSS) to strengthen security infrastructure and capabilities of Police of Coastal States. Under the scheme, Coastal States/UTs have operationalised 183 Coastal Police Stations (CPSs), which are equipped with 23 jetties, 97 check posts, 58 outposts, 30 barracks, 204 boats, 280 four wheelers and 546 two wheelers. Coastal Security is reviewed periodically with all stakeholders by National Committee for Strengthening Maritime and Coastal Security (NCSMCS) against threats from the Sea.

श्री हरिवंशः धन्यवाद सभापति जी, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला supplementary question यह है कि जो परित्यक्त पाकिस्तानी नौकाएं भारतीय सीमा में पकड़ी गई हैं, उनमें क्या-क्या चीज़ें मिली हैं? क्या उनमें fake currency या drugs भी मिले हैं या फिर ये नौकाएं सिर्फ मछली मारने के उद्देश्य से भारत की सीमा में आई थीं और इसमें निर्दोष पाकिस्तानी मछुआरे थे?

श्री किरन रिजिजुः सभापति जी, जो मुख्य सवाल का जवाब दिया गया है, उसमें ये आंकड़े दिए गए हैं कि गुजरात साइड में Sir Creek area है, वहां कितनी बोट्स पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गईं। जो भी बोट्स पकड़ी गई हैं, उनकी फिगर्स main statement में दी गई है। वैसे तो बोट्स में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारा सामान होता है, लेकिन जब वे abandoned boats छोड़ते हैं, तो खाली बोट्स में तो कुछ नहीं होता है। अगर हम बोट्स को live seize करते हैं, तब उसमें आदमी के साथ-साथ सामान भी होता है, लेकिन आपने अपने सवाल में abandoned boats के बारे में पूछा है, तो abandoned boats में तो कुछ सामान नहीं होता है।

श्री हरिवंशः सर, मेरा दूसरा प्रश्न है, अक्तूबर 2016 में देश के सम्मानित अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स में खबर आई कि थी — "100 से अधिक पाकिस्तानी नौकाएं भारतीय कस्टम विभाग के कब्जे में हैं। लम्बी अदालती प्रक्रिया के बाद ऑक्शन का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में ये नौकाएं उनकी poor condition के कारण पुनः समुद्र में जाने लायक नहीं रहतीं।" एक अधिकारी की टिप्पणी थी, "We need clearance from the Central Government to initiate an auction." मैं माननीय गृह मंत्री जी से इसके संदर्भ में डिटेल जानना चाहूंगा।

श्री किरन रिजिजुः सर, जैसा माननीय सदस्य ने जिक्र किया, जो पुरानी बोट्स हैं, उनकी वैल्यू कम होती है। अगर होम मिनिस्ट्री से उनकी security clearance मांगेंगे, तो प्रक्रिया को देख कर वे क्लीयरेंस तो जरूर दे देंगे, लेकिन उसका प्रोसेस तो राज्य सरकार को ही करना होता है। राज्य सरकार की तरफ से कोई भी commitment मैं यहां नहीं दे सकता हूं।

श्री अजय संचेतीः सर, 26/11 की जो घटना हुई, वह इस देश और दुनिया के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा, उस समय एक बात उठी थी कि coastal security के लिए, बोट्स और तटीय सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था के लिए वहां scanners लगाए जाएंगे, जिससे सारी की सारी बोट्स स्कैन हो सकें ।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस तरीके की कोई बात उठी थी? क्या गृह मंत्रालय के द्वारा इस तरीके का कोई प्रोविज़न किया गया है?

श्री किरन रिजिजुः माननीय सभापति जी, 26/11 की घटना के बाद, total security structure

का एक architecture बनाया गया है और विभिन्न स्तरों पर उसका गठन हुआ है। उसके बाद जो Coastal Security Scheme लागू हुई, उसमें बहुत सी किस्मों के सामान का प्रावधान है। चूंकि माननीय सदस्य ने खासकर scanning के बारे में पूछा है, इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि समुद्र तट पर जो हमारी Indian Navy, National Coast Guard और Coastal Police है, वह अपने-अपने दायरे, यानी अपनी-अपनी jurisdiction में, जो भी alien boats दिखाई देती हैं, उन्हें track और intercept किया जाता है और उन्हें पकड़ा जाता है। इसलिए उसका सारा system और mechanism दिया हुआ है। अतः आजकल जो हमारा security structure है वह बहुत ही synchronized way में काम कर रहा है। इसलिए इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है।

SHRI RAJEEV SHUKLA: Sir, I just want to know one thing from the hon. Minister. When these terrorists are harboured through these boats, they land in respective States, and, from there, they go to other parts of the country. Now, there is a huge ambiguity. The National Coast Guard is saying that the State Government is equally responsible, the State Police is responsible, and, the State Police always puts the onus on the National Coast Guard and the Coastal Police. So, I want to know from the hon. Minister as to who is actually responsible, whether it is the National Coast Guard or it is the State Government.

श्री किरन रिजिजुः सर, यह बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो agencies हैं उनका दायरा तय करना और उनका आपस में synchronization कैसे हो, यह बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी के मामले में खासकर Sharing of information and coordination बहुत important होता है। Overall जो Indian Maritime Security है, उसकी जिम्मेदारी Indian Navy को दी गई है। उसके नीचे National Coast Guard है। उसका भी क्षेत्र upto 200 nautical miles है, जिसे हम Exclusive Economic Zone कहते हैं। वहां तक Indian Navy के साथ वे operation करते हैं। फिर 12 nautical miles, जिसे हम territorial waters कहते हैं, वहां पर Coastal Police है। इसके गठन के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पूरी मदद मिल रही है। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे, तो मैं सूची भी दे सकता हूं कि उन्हें इसमें क्या-क्या सामान दिया गया है। इसके तहत जो Coastal Police Station है, वह crime-related जितनी भी घटनाएं होती हैं, वहां दर्ज होती हैं, जिस प्रकार से कि आमतौर पर पुलिस स्टेशनों में होती हैं। इस प्रकार इस पूरे के पूरे coordination का Commander DG, National Coast Guard होता है। उसे कमांड करने के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन overall security का जो प्रावधान है, वह Indian Navy के साथ-साथ जो National Coast Guard है, वह और Marine Police तथा Coastal Police मिलकर करती हैं।

श्री प्रेम चन्द गुप्ताः माननीय सभापति जी, यह बहुत ही पुरानी समस्या है। पहले Gulf countries से alien boats आती थीं, जिनमें goods की smuggling होती थी। अब हमारे देश की जो hostile country है, पाकिस्तान की ISI वगैरह, वे सब arms, ammunition और terrorists को smuggle करने के लिए, इस technology को use करते हैं या इस तरीके को use करते हैं। श्रीमान् जी, यदि आप देखेंगे, तो पाएंगे कि वर्ष 2015 में चार boats abandoned मिलीं, वर्ष 2016 में 11 मिलीं और वर्ष 2017 के दो महीने में ही चार बोट्स मिलीं। इसका मतलब यह है कि यदि आज की calculation के हिसाब से देखते हैं, तो इस साल के आखिर तक लगभग 24-25 boats abandoned होनी चाहिए। श्रीमान् जी, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने कहा कि

Costal Police देखेगी और इसमें राज्यों की जिम्मेदारी आपने बताई है, तो क्या राज्यों के पास इतने संसाधन हैं कि वे इस भारी समस्या का समाधान निकाल सकें?

श्रीमान् जी, यह बहुत ही important विषय है। Home Ministry की जो Costal Security Scheme है, वह सब steps ले रही है, जिसमें 280 four wheelers हैं और 546 two wheelers हैं, तो क्या आप two wheelers के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की स्थिति में हैं?

महोदय, यह एक बहुत गम्भीर समस्या है। आज के युग में इतनी advanced technology आ गई है, जिससे आप अपनी Navy और Air Force के जो संसाधन हैं, ड्रोन्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनका use कर के आप इस menace को चैक कीजिए, ताकि देश में 26/11 जैसी घटना दुबारा न हो।

श्री किरन रिजिजुः सभापति महोदय, माननीय प्रेम चन्द जी ने यह बहुत ही व्यापक सवाल पूछा है। इसमें सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह हम लोगों के लिए अच्छी बात भी है कि 26/11 के बाद जो कदम उठाये गये हैं, वह जमीन पर देखने को मिला, जिसके चलते आज तक ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई। कारण बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपने जो बोट का जिक्र किया और आपने जो कैपेसिटी की बात की, तो फिलहाल सर, हमने जो Space-based transponder लगाकर रखा है, satellite से जो मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है, इससे हमको बहुत ताकत मिल रही है, जिससे पता चलता है कि कोई चीज़ हमारी टेरिटरी में बाहर से आई हुई है, Indian territorial waters में घुसपैठ हुई है और कहां हुई है, कैसे हुई है, उसको लोकेट करने में हम लोगों को उससे बहुत अच्छी सहूलियत मिलती है। उसके बाद जो National Command Control Communication and Intelligence Network है, जिसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है, वहां से उसकी पूरी networking and observation होती है। साथ-साथ, देश भर में 46 remote radar stations हैं, पूरे इंडिया की जो हमारी 7,516 किलोमीटर लम्बी coastline है, उस पर वे पूरे लगाये हुए हैं, बिछाये हुए हैं, जिससे हम लगातार निगरानी रखने में कामयाब हुए हैं।

इसके साथ-साथ commandos' training की जो बात है, तो कमांडोज़ की ट्रेनिंग भी coastal police personnel को दी जाती है और साल में दो बार 'सागर कवच' नामक ट्रेनिंग जगह-जगह पर होती है। इसके अलावा, हमारी जो नेवी है, वह भी अलग से ट्रेनिंग देती है। तो इस तरह से ट्रेनिंग से लेकर जो सामग्री की आपने बात की, जो भी जरूरत की तमाम चीज़ें हैं, State Coastal Police को यहां से, गृह मंत्रालय से लगातार दी जाती है। पिछले साल गृह मंत्री जी के साथ मैं भी मुम्बई गया था, जहां मैने कोस्टल स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर्स, होम मिनिस्टर्स और सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद बहुत सी चीज़ों पर निर्णय हुआ है और आज मैं सदन को यह आश्वासित करना चाहता हूँ कि हमारी coastline इस वक्त सुरक्षित है।

Special Central Assistance to tribal districts of Himachal Pradesh

*288. SHRIMATI VIPLOVE THAKUR: Will the Minister of TRIBAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether tribal districts of Himachal Pradesh have been provided Special Central Assistance (SCA) during the last three years and the current year; and